हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 06/2022
बअनवान हेमी वगै. बनाम गुणेशा वगै.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 24.01.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री वीरमाराम चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण व उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी मौजा पटवार मंडल बेरीगांव के ग्राम बेरीगांव के खेत खसरा संख्या 137/1, 139, 146/3 रकबा क्र:13.11, 03.08, 03.07 बीघा अवस्थित है। उक्त आराजी में अपीलार्थीगण 01 व 02 का 1/5–1/5 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 का बनता है। अपीलार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मय अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन मातहत अदालत में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की गई। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से आवेदन खारिज किये गये। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिनक विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना/नोटिस अपीलांटगण को नहीं किया गया। कैम्प कोर्ट में राजीनामा के आधार पर आदेश पारित किये जा सकते है जबकि हस्तगत प्रकरण में कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटगण के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2020 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 को अपास्त किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेस्पोडेंटस को पाबंद किया जाता है कि वे मौजा बेरीगाव के खेत खसरा संख्या 137/1, 139, 146/3 में वर्णित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 24.01.2023 को सुनाया गया।

(प्रविष्ठा विलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर